HRA IN UNIONALIA

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३---उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 17, 2010/वैशाख 27, 1932

No. 258

NEW DELHI, MONDAY, MAY 17, 2010/VAISAKHA 27, 1932

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

श्चिद्ध-पत्र

नई दिल्ली, 17 मई, 2010

सा.का.नि. 411(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 11, खंड 3, उप-खंड (¡) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 5 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 176(अ) [सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) (संशोधन) नियमावली, 2010] में :—

नियम 1 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(2) वे । दिसम्बर, 2010 को प्रवृत्त होंगे ।''

[फा. सं. पी. 16011/7/2005-पीएच]

केशव देसीराजु, अपर सचिव

टिप्पण. -मूल नियमावली सिगरेट और अन्य तम्बाक् उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबिलंग) नियमावली, 2008 में दिनांक 15 मार्च, 2008 के सा.का.नि. 182(अ) के तहत यथा-अधिसूचित सचित्र चेतावनियां प्रवृत्त रहेंगी और ये ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख तक तदनुसार लागू रहेंगी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th May, 2010

G.S.R. 411(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare No. G.S.R. 176(E), dated 5th March, 2010, [The Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) (Amendment) Rules, 2010] published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary:—

For sub-rule (2) of Rule 1, the following shall be substituted, namely:

"(2) They shall come into force on the 1st December of 2010."

[F. No. P. 16011/7/2005-PH]

KESHAV DESIRAJU, Addl. Secv.

Note.—The pictorial warnings as notified in the Principal Rules, The Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules 2008, vide No. G.S.R. 182(E), dated 15th March, 2008 shall continue to be in force and operate accordingly till the date specified above.